IV 41/14

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 251659

न्यास पत्र

हम कि अनिल राय पुत्र श्री जयप्रकाश राय,सुनील कुमार राय पुत्र श्री जयप्रकाश राय तथा बृजेश कुमार राय पुत्र श्री जयप्रकाश राय ग्राम-जमीन इसरपार,पो०-सोढरी ,तहसील-निजामाबाद (उ०प्र०) के निवासी है। हम लोग समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम लोग के मन मष्तिस्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है, इस हेतु हम लोग एक न्यास गठित करना चाहतें है। हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान-प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाति, छूआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच, की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित में उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम लोग द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है।

हम लोग द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 11100/- (ग्यारह हजार एक सौ रू०) को एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करतें रहेगें। हम लोग ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी-

1. यह कि हम लोग द्वारा स्थापित न्यास का नाम 'जयप्रकाश आश्रम (सेवाश्रम) न्यास' होगा जिसे न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय ग्राम-जमीन इसरपार,पो०-सोढरी ,तहसील-निजामाबाद (उ०प्र०) में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालय की भी स्थापना की जायेगी और इनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत होगा।
3. यह कि हम लोग ट्रस्ट मण्डल के संस्थापक ट्रस्टी होगें तथा श्री सुनील कुमार राय ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होगें और ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगें। ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी सहित कुल ट्रस्टियों की अधिकतम सं०-3 (तीन) होगी। मुख्य ट्रस्टी तथा दो अन्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा।

अनिलराय   SK Rai   Brijesh Kr. Rai

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 251661

12. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजन एवं मोटर मैकेनिक, रेडियों एवं टी०वी० ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, ब्यूटिशियन कोर्स इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
13. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे-जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
15. समाज कल्याण हेतु विभिन्न योजनओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूंगे, बहरे, अन्धों अपंग, एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चो, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के विद्यलाय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
16. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
17. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।
18. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
19. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जडी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।
20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।

अनिलराय

EW Rai

Rajesh Ku Rai

3

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 251660

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "जयप्रकाश आश्रम (सेवाश्रम)न्यास" के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखत है-

1. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
2. नव युवक, नव युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
3. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टैक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध करना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि, शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
7. लिंग भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंक सेन्टरों की व्यवस्था तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
10. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्व रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

अनिलराय

Rai

Pankaj ku. Rai

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666472

21. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
22. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना, बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।
23. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्ष्ण सम्पादित हो सके जैसे यूनीसेफ, आई०सी०डी०एस० नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
24. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
25. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, गांजा-भांग, स्मैक, एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सर्तक करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
26. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अंध-विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बालश्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के हासको दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
27. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
28. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोक-थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
29. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा, जिम्नास्टिक, जूडो कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

अनिल राय

Rai

Pankaj Kr. Rai

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666473

30. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनओं को क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता/प्रशिक्षण/केम. सहायता एवं हैण्ड पाइप की व्यवस्था करना।
31. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
32. एड्स, कैन्सर, टी०वी० कोढ़ मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
33. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।
34. सरकारी कार्यक्रमों जैसे डूडा एवं सूडा को संचालित करना।
35. सरकार की सहायता से गांवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खडन्जा, पिच पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत मे आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।
36. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानो का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना , साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना। तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।
37. बर्मी कम्पोस्ट एवं साग सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगो को अवगत कराना।
38. बंजर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
39. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

अनिल राय

Brijesh Kr. Rai

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666474

40. प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गांवो, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।
41. लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।
42. तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।
43. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन०जी०ओ० के माध्यम से चलाया जा रहा है।
44. किसी एन०जी०ओ० द्वारा दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
45. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़ नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।
46. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन०जी०ओ०, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया कलापों में सहयोग देना जिसके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हो।
47. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओ/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।
48. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुचाना।
49. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

आनेल राय

Brijesh Kr. Rai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666475

50. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना। ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य -

- क. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एव केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
- ख. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
- ग. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अगली नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
- घ. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क दान, चन्दा, इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
- ड़. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
- च. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
- छ ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों की कार्यकारिणी समिति का गठन करना जिसमे सदस्यों की संख्या न्यूनतम 11 और अधिकतम 21 होगी
- ज. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
- झ. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शाप केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

अनिलराय

Brijesh Kr. Rai

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666476

ञ. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

ट. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जोन वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों/ महाविद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था -

1. ट्रस्ट मण्डल के सभी सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा तथा उन्हे अपने जीवन काल मे वारिस घोषित करने का अधिकार होगा । वारिस घोषित करने के पूर्व मृत्यु की स्थिति मे विधिक उत्तराधिकारियों मे से योग्य उत्तराधिकारी को ट्रस्ट मण्डल सर्वसम्मति से ट्रस्ट का ट्रस्टी चुनेगा। यदि सर्व सम्मति से चुनाव नहीं हो पाता है तो विधिक उत्तराधिकारियों में से वरिष्ठतम उत्तराधिकारी ट्रस्ट मण्डल का सदस्य होगा ।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा मुख्य ट्रस्टी के पद से त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु हो जाने की दशा में नये मुख्य ट्रस्टी का चुनाव सर्वसम्मति/बहुमत से ट्रस्ट मण्डल द्वारा किया जायेगा।
3. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी। और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने मे से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन के मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
5. कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नही कर सकेगा लेकिन यदि वह ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्थान/समिति में ऐसे पद के दायित्वों का निर्वहन करता है जो वैतनिक है तो वह पदावधि के दौरान उस पद का वेतन प्राप्त कर सकेगा।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से

अनिल राय

Brijesh ku. Rai

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 666477

स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगें तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

ट्रस्ट की बैठक का वार्षिक अधिवेशन -

1-ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्यक होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2-वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य -

इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट मण्डल की सहमति से ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना ।

- ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
- ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
- ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
- ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को ट्रस्ट मण्डल के सर्वसम्मति से हस्ताक्षरित करना।

अनिल राय

Brijesh Ku. Rai

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666478

- ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
- इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।
- ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल के बहुमत द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट कें आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
- ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख रखाव करना।

ट्रस्ट की कोष व्यवस्था -

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋण राशियां निहित होगी खाते का संचालन ट्रस्ट मण्डल द्वारा बहुमत /सर्व सम्मति से अधिकृत एक अथवा संयुक्त ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट के अभिलेख -

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था-

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी-

- यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंको से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे, अधिकृत होगे।
- यह कि ट्रस्ट मण्डल की सहमति से मुख्य ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूति एवं भवन किराये पर ले सकेगें, क्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

अनिल राय

Rai

Brajesh Ku. Rai

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 66647

- यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।
- ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु ट्रस्ट मण्डल बहुमत/ सर्वसम्मत द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
- ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा।
- ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
- ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितो के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होगी।

अनिल राय

Brijesh Ku. Rai

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — भारत — सत्यमेव जयते — INDIA — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 666480

घोषणा

"जयप्रकाश आश्रम (सेवाश्रम) न्यास" की तरफ से हम अनिल राय, सुनील कुमार राय, बृजेश कुमार राय ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि यह ट्रस्ट पत्र लिखवाकर पढ़ व समक्षकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समक्षकर इस न्यास पत्र को निबन्ध हेतु प्रस्तुत किया हैं, जिससे कि न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण :

1- अनिल राय

ट्रस्टी -1

ट्रस्टी -2

ट्रस्टी -3

जयप्रकाश राय पुत्र स्व रामखेलराय
सा० [illegible] सोदरी
परगना निजामाबाद जि० आजमगढ़

2-

मजमूनकर्ता

[illegible] राय पुत्र [illegible] राय
ग्राम - पो० सोदरी प०ना० त०
निजामाबाद जि०-आजमगढ़

[illegible] राय

अनिल राय

[signature]

Brijesh ku. Rai

क्र.सं. 43 5012

दिनांक 20.7.18

क्रेता का नाम

ग्रा० नि० जि० आजमगढ़ निजामाबाद

अवधेश कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-49
दीवानी कचहरी, आजमगढ़

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 27 के पृष्ठ 263 से 28[illegible] क्रमांक 41 पर दिनाँक 21/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डॉ अमृता जायसवाल
उप निबंधक : निज़ामाबाद
आजमगढ़
21/07/2018